

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी. / 83-ग/अलेसे-11/ 7220-79

दिनांक - 18.04.2012

कार्यालय आदेश संख्या 07/2012-13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रुत्ता/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं ग्रेड-पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

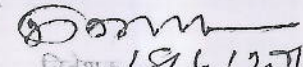
क्र.सं.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	रामचन्द्र	12.05.1961	11.03.1985	11.03.2012	
2.	राजेश्वर शर्मा	16.09.1961	11.03.1985	11.03.2012	
3.	राधेश्याम कुमावत	05.07.1953	11.03.1985	11.03.2012	
4.	रामनिवास गोट	01.09.1960	11.03.1985	11.03.2012	
5.	रामसिंह बाकावत	01.09.1952	11.03.1985	11.03.2012	
6.	रामेश्वर लाल यादव	18.05.1956	11.03.1985	11.03.2012	
7.	रमेश चन्द्र गुप्ता	07.07.1958	11.03.1985	11.03.2012	
8.	रघुनाथ प्रसाद शर्मा	09.02.1962	11.03.1985	11.03.2012	
9.	सुरज मल गुप्ता	29.10.1955	11.03.1985	11.03.2012	
10.	सत्यनारायण शर्मा	01.01.1962	11.03.1985	11.03.2012	
11.	शिवपुरी	15.05.1958	11.03.1985	11.03.2012	
12.	सीताराम शर्मा	09.07.1960	11.03.1985	11.03.2012	
13.	यशोदा नन्दन शर्मा	01.01.1961	11.03.1985	11.03.2012	
14.	राधेश्याम वर्मा	02.02.1960	11.03.1985	11.03.2012	
15.	राजेंद्र सिंह	24.02.1959	11.03.1985	11.03.2012	
16.	राजेंद्र कुमार मित्तल	20.01.1962	11.03.1985	11.03.2012	
17.	रमेश चन्द्र अराड़ा	05.01.1956	11.03.1985	11.03.2012	
18.	राजेंद्र शर्मा	15.06.1961	11.03.1985	11.03.2012	
19.	राजेंद्र कुमार शर्मा	04.07.1962	11.03.1985	11.03.2012	
20.	राजेश कुमार	01.08.1962	11.03.1985	11.03.2012	
21.	श्रीराम शर्मा	04.02.1960	11.03.1985	11.03.2012	
22.	शिवपाल	01.07.1961	11.03.1985	11.03.2012	
23.	सुरेश चन्द्र विजय	30.07.1957	11.03.1985	11.03.2012	
24.	श्रीचन्द शाहू	20.09.1962	11.03.1985	11.03.2012	
25.	श्रीगोपालाचार्य	26.07.1956	11.03.1985	11.03.2012	
26.	शिवप्रकाश गुप्ता	01.09.1959	11.03.1985	11.03.2012	
27.	शिवचरण सिंघल	25.02.1960	11.03.1985	11.03.2012	
28.	तुलसी राम सिंघल	16.06.1957	11.03.1985	11.03.2012	
29.	तेज सिंह चौधरी	11.08.1960	11.03.1985	11.03.2012	
30.	विनाद कुमार भाटिया	05.07.1955	11.03.1985	11.03.2012	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 14 से 30 पर उल्लेखित लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य- मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन

में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी. पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 08.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है तथा वित्त विभाग के आदेश एफ.20 (1) एफ.डी (यु.ए.2)/92 Pt (PSR-3/95) दिनांक 18.02.95 के अनुसार दिनांक 25.01.92 अथवा इससे परानत किसी भी लेखाकार द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत नहीं कराया गया है, इसकी भी सुनिश्चितता आवश्यक रूप से कर ली जावे। उक्त प्रमाण पत्र वेतन स्थितीकरण के समय आदेश में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

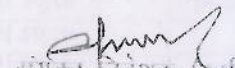

निदेशक 194/2012

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी / 83-III/अलेम-11/7220-79

दिनांक- 18.04.2012

प्रतिलिपि निम्नाविक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
2. श्री.....लेखाकार, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।


संयुक्त निदेशक (वार्डिंग - I)